भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/डीओआर/2025-26/339
डीओआर.एफआईएन.आरईसी.सं.258/03.10.119/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) निदेश, 2025

विषयसूची

अध्याय-I – प्रारंभिक 2

अध्याय-II – स्केल आधारित विनियमन हेतु ढाँचा 9

अध्याय-III – पंजीकरण संबंधी अपेक्षाएँ 18

अध्याय-IV – आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों से छूट 22

अध्याय-V – रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं 26

अध्याय-VI – निरसन और व्यावृत्ति 27

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45JA, 45K, 45L, 45M और 45NC, फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम 12) की धारा 31A और धारा 6 के साथ पठित धारा 3, तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम 53) की धारा 30, 30A, 32 और 33 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक, जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभ के लिए वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने और किसी भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के मामलों को निवेशकों और जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल या ऐसी एनबीएफसी के हितों के प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से रोकने के उद्देश्य से, एतद्द्वारा प्रत्येक एनबीएफसी को नीचे विनिर्दिष्ट भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) निदेश, 2025 (निदेश) जारी करता है।

अध्याय-I – प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को "भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट तथा स्केल आधारित विनियमन की रूपरेखा) निदेश, 2025" कहा जाएगा।

2. ये निदेश जिस दिन इन्हें रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा उस दिन से प्रभावी होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. इन निर्देशों की प्रयोज्यता निम्नानुसार है:

(1) अध्याय-IV में निहित प्रावधान, आरबीआई अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB के अंतर्गत निर्दिष्ट एनबीएफ़सी / गैर-बैंकिंग संस्थाओं / गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर लागू होंगे।

(2) इन निदेशों के प्रावधान, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर) की रूपरेखा के अंतर्गत विनियामकीय संरचना के अनुसार विभिन्न स्तरों में उनके वर्गीकरण के आधार पर, आरबीआई में पंजीकृत सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) पर लागू होंगे।

(3) ये निदेश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में परिभाषित सरकारी कंपनी के रूप में एनबीएफ़सी पर भी लागू होंगे, जो एसबीआर रूपरेखा के अंतर्गत विनियामकीय संरचना के अनुसार विभिन्न स्तरों में उसके वर्गीकरण के अधीन होगा।

4. निम्नलिखित श्रेणियों की एनबीएफ़सी पर संबंधित निर्दिष्ट मास्टर निदेशों में विहित विनियम भी लागू होंगे:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जनता की जमाराशियों की स्वीकृति) निदेश, 2025 के प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफ़सी-डी तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत आरबीआई में पंजीकृत जमाराशि स्वीकार करने वाली एचएफसी पर लागू होंगे।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – सूक्ष्म वित्त संस्थान) निदेश, 2025 के प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफ़सी-एमएफआई पर लागू होंगे।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लैटफ़ार्म) निदेश, 2025 के प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफ़सी-पी2पी पर लागू होंगे।

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – एकाउंट एग्रीगेटर) निदेश, 2025 के प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफ़सी-एए पर लागू होंगे।

(v) भारतीय रिज़र्व बैंक (कोर निवेश कंपनियां) निदेश, 2025 के प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत आरबीआई में पंजीकृत सीआईसी पर लागू होंगे।

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर) निदेश, 2025 के प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत एनबीएफ़सी के रूप में आरबीआई में पंजीकृत एसपीडी पर लागू होंगे।

(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (बंधक गारंटी कंपनियां) निदेश, 2025 के प्रावधान बंधक गारंटी कंपनियों के पंजीकरण की योजना के अंतर्गत आरबीआई में पंजीकृत एमजीसी पर लागू होंगे।

(viii) भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियां) निदेश, 2025 के प्रावधान राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत आरबीआई में पंजीकृत एचएफसी पर लागू होंगे।

(ix) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनियां) निदेश, 2025 के प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत एनबीएफ़सी के रूप में आरबीआई में पंजीकृत एनओएफएचसी पर लागू होंगे।

5. इसके अतिरिक्त**,** जब तक संबंधित मास्टर निदेशों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो**,** निम्नलिखित मास्टर निदेशों में विहित विनियामकीय अनुदेश आरबीआई में पंजीकृत सभी एनबीएफ़सी पर लागू होंगे:

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शाखा प्राधिकरण) निदेश, 2025।

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय सेवाओं का संचालन) निदेश, 2025।

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025।

(4) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अभिशासन) निदेश, 2025।

(5) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025।

(6) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जलवायु वित्त तथा जलवायु परिवर्तन जोखिमों का प्रबंधन) निदेश, 2025।

(7) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – ऋण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025।

(8) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025।

(9) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – सांद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025।

(10) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – ऋण जोखिम का अंतरण एवं वितरण) निदेश, 2025।

(11) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश, 2025।

(12) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण) निदेश, 2025।

(13) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025।

(14) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जानबूझकर चूककर्ताओं तथा बड़े चूककर्ताओं का उपचार) निदेश, 2025।

(15) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा संचालन) निदेश, 2025।

(16) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आस्ति-दायित्व प्रबंधन) निदेश, 2025।

(17) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आउटसोर्सिंग में जोखिमों का प्रबंधन) निदेश, 2025।

(18) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण) निदेश, 2025।

(19) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – लाभांश घोषणा संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025।

(20) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – ऋण सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025।

(21) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025।

(22) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – क्रेडिट कार्ड: जारीकरण एवं आचरण) निदेश, 2025।

(23) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण) निदेश, 2025।

(24) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – स्वैच्छिक समामेलन) निदेश, 2025।

(25) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – विविध) निदेश, 2025।

सी. परिभाषाएं

6. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(1) 'कोर निवेश कंपनी (सीआईसी)' से अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक (कोर निवेश कंपनियां) निदेश, 2025 में परिभाषित 'कोर निवेश कंपनी' से है।

(2) 'कंपनी' से अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के तत्संबंधी प्रावधान के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से है।

(3) 'समूह की कंपनियां' से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो या अधिक संस्थाएं निम्नलिखित में से किसी संबंध के माध्यम से एक-दूसरे से संबंधित हों: सहायक कंपनी – मूल कंपनी (एएस 21 के अनुसार परिभाषित); संयुक्त उद्यम (एएस 27 के अनुसार परिभाषित); सहयोगी (एएस 23 के अनुसार परिभाषित); सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी (शेयरों का अधिग्रहण एवं कब्जा) विनियम, 1997 के अनुसार प्रवर्तक–प्रवर्तित कंपनी;

संबंधित पक्ष (एएस 18 के अनुसार परिभाषित); समान ब्रांड नाम; तथा 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक इक्विटी शेयरों में निवेश।

स्पष्टीकरण: 'समूह की कंपनियां' की यह परिभाषा केवल किसी समूह में एकाधिक एनबीएफ़सी पर विवेकपूर्ण मानदंडों की प्रयोज्यता निर्धारित करने के प्रयोजन से है।

(4) 'ग्राहक इंटरफेस' से अभिप्राय एनबीएफ़सी द्वारा अपना व्यवसाय संचालित करते समय उसके और उसके ग्राहकों के बीच होने वाली अंतःक्रिया से है।

(5) 'आवास वित्त कंपनी (एचएफसी)' से अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियां) निदेश, 2025 में परिभाषित 'आवास वित्त कंपनी' से है।

(6) 'अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) ऋण निधि -गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफ़सी)' से अभिप्राय ऐसी गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी से है जिसे—

(i) संचालन प्रारंभ तिथि (सीओडी) के पश्चात ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने की अनुमति हो, जिन्होंने संतोषजनक वाणिज्यिक परिचालन का कम से कम एक वर्ष पूरा कर लिया हो; तथा

(ii) प्रत्यक्ष ऋणदाता के रूप में टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने की अनुमति हो।

(7) 'अवसंरचना ऋण' से अभिप्राय एनबीएफ़सी द्वारा किसी उधारकर्ता को सावधि ऋण, परियोजना ऋण, अथवा परियोजना वित्त पैकेज के भाग के रूप में अर्जित परियोजना कंपनी के बॉण्ड/ डिबेंचर/ वरीयता शेयर/ इक्विटी शेयरों की अभिदान राशि, जो 'अग्रिम की प्रकृति' की हो, अथवा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अवसंरचना उप-क्षेत्रों में एक्सपोजर हेतु दी गई किसी अन्य प्रकार की दीर्घकालिक निधि-आधारित सुविधा के रूप में प्रदान की गई ऋण सुविधा से है।

(8) 'बंधक गारंटी कंपनी (एमजीसी)' से अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक (बंधक गारंटी कंपनियां) निदेश, 2025 में परिभाषित 'बंधक गारंटी कंपनी' से है।

(9) 'एनबीएफ़सी-एकाउंट एग्रीगेटर (एनबीएफ़सी-एए)' से अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – एकाउंट एग्रीगेटर) निदेश, 2025 में परिभाषित 'एकाउंट एग्रीगेटर' से है।

(10) 'जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी (एनबीएफ़सी-डी)' से अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जनता की जमाराशियों की स्वीकृति) निदेश, 2025 में परिभाषित 'जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी' से है।

(11) 'एनबीएफ़सी-फैक्टर' से अभिप्राय आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (f) में परिभाषित ऐसी एनबीएफ़सी से है, जिसका प्रमुख व्यवसाय भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

– विविध) निदेश, 2025 में विनिर्दिष्ट है और जिसे फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

(12) 'एनबीएफ़सी-निवेश एवं ऋण कंपनियां (एनबीएफ़सी-आईसीसी)' से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जो एक वित्तीय संस्था है और जिसका प्रमुख व्यवसाय - आस्ति वित्त; अपने स्वयं के अतिरिक्त किसी गतिविधि के लिए ऋण या अग्रिम अथवा अन्य किसी माध्यम से वित्त उपलब्ध कराना; तथा प्रतिभूतियों का अधिग्रहण है और जो आरबीआई द्वारा अपने किसी मास्टर निदेश में परिभाषित एनबीएफ़सी की किसी अन्य श्रेणी में शामिल नहीं है।

(13) 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी–अवसंरचना वित्त कंपनी (एनबीएफ़सी-आईएफसी)' से अभिप्राय ऐसी गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी से है जिसकी कुल आस्तियों का न्यूनतम 75 प्रतिशत अवसंरचना ऋण में नियोजित हो।

(14) 'एनबीएफ़सी- सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफ़सी-एमएफआई)' से अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – सूक्ष्म वित्त संस्थान) निदेश, 2025 में परिभाषित 'एनबीएफ़सी-एमएफआई' से है।

[1][(14ए) 'सार्वजनिक निधि का उपयोग न करने वाली और ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली एनबीएफसी' का अर्थ है ऐसी एनबीएफसी जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ टाइप। एनबीएफसी के रूप में या किसी अन्य रूप में पंजीकृत है और

(i) सार्वजनिक निधि स्वीकार नहीं करती है और भविष्य में भी सार्वजनिक निधि स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती है; और

(ii) ग्राहक इंटरफेस नहीं रखती है और भविष्य में भी ग्राहक इंटरफेस रखने का इरादा नहीं रखती है।

स्पष्टीकरण: 'सार्वजनिक निधि' और 'ग्राहक इंटरफेस' से तात्पर्य इन निर्देशों में परिभाषित 'सार्वजनिक निधि' और 'ग्राहक इंटरफेस' से है।]

(15) 'एनबीएफ़सी-पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लैटफ़ार्म (एनबीएफ़सी-पी2पी)' से अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पीयर-टू-पीयर ऋण मंच) निदेश, 2025 में परिभाषित 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी–पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लैटफ़ार्म' से है।

(16) 'गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी)' से अभिप्राय ऐसी गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी से है जिसका उल्लेख भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनियां) निदेश, 2025 में किया गया है और जो लागू विनियामकीय प्रावधानों

[1] 29 अप्रैल 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) संशोधन निदेश, 2026 के तहत 01 जुलाई 2026 से अंतःस्थापित।

द्वारा अनुमत सीमा तक किसी बैंकिंग कंपनी के शेयर तथा अपने समूह की अन्य सभी वित्तीय सेवा कंपनियों के शेयर धारण करती है, चाहे वे आरबीआई अथवा किसी अन्य वित्तीय विनियामक द्वारा विनियमित हों।

(17) 'जनता की जमाराशि' का इन निदेशों के प्रयोजन के लिए वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जनता की जमाराशियों की स्वीकृति) निदेश, 2025 में परिभाषित है।

(18) 'सार्वजनिक निधियां' में जनता की जमाराशियों, अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशियों, बैंक वित्त के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुटाई गई निधियां तथा बाहरी स्रोतों से प्राप्त सभी निधियां, जैसे वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर आदि जारी करके जुटाई गई निधियां शामिल होंगी; किंतु इसमें ऐसे लिखत जारी करके जुटाई गई निधियां शामिल नहीं होंगी जो जारी करने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हों।

[2][*स्पष्टीकरण.* सार्वजनिक निधियों की अप्रत्यक्ष प्राप्ति का अर्थ है ऐसी निधियाँ जो सीधे तौर पर प्राप्त नहीं होतीं बल्कि उन सहयोगी संस्थाओं और समूह संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त होती हैं जो सार्वजनिक निधियां स्वीकार करती है।]

(19) 'आरबीआई अधिनियम, 1934' से अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) से है।

(20) 'रिज़र्व बैंक' से अभिप्राय आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक से है।

(21) 'स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (एसपीडी)' से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत एनबीएफ़सी के रूप में पंजीकृत है और जिसे आरबीआई द्वारा प्राथमिक डीलर (पीडी) गतिविधि संचालित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[3][(22) 'टाइप I एनबीएफसी' का अर्थ है 'सार्वजनिक निधि का उपयोग न करने वाली और ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली एनबीएफसी' जैसा कि इन निर्देशों में परिभाषित है और जिसके पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'टाइप I एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र है।

(23) 'टाइप II एनबीएफसी' का अर्थ है एक एनबीएफसी जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'टाइप I एनबीएफसी' के अलावा किसी अन्य एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

(24) 'अपंजीकृत टाइप I एनबीएफसी' का अर्थ है 'सार्वजनिक निधि का उपयोग न करने वाली और ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली एनबीएफसी' जैसा कि इन निर्देशों में परिभाषित किया गया है और जिसे आरबीआई

[2] 29 अप्रैल 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) संशोधन निदेश, 2026 के तहत 01 जुलाई 2026 से अंतःस्थापित।

[3] 29 अप्रैल 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) संशोधन निदेश, 2026 के तहत 01 जुलाई 2026 से अंतःस्थापित।

अधिनियम, 1934 की धारा 45आईए और 45आईसी के प्रावधानों से छूट दी गई है, जैसा कि इन निर्देशों के पैराग्राफ 65ए में विस्तृत रूप से बताया गया है।]

7. इन निदेशों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों, जो इनमें परिभाषित नहीं हैं किंतु आरबीआई अधिनियम, 1934 में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उन्हें आरबीआई अधिनियम, 1934 में प्रदान किया गया है। ऐसे अन्य शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों, जो आरबीआई अधिनियम, 1934 में परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो उन्हें फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 में प्रदान किया गया है। ऐसे शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों, जो इन निदेशों, आरबीआई अधिनियम, 1934, फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी निदेश में परिभाषित नहीं हैं, का अर्थ, यथास्थिति, कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम 18) में उन्हें प्रदान किए गए अर्थ के अनुसार होगा।

अध्याय-II – स्केल आधारित विनियमन हेतु ढाँचा

ए. स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर) के अंतर्गत विनियामकीय संरचना

8. एनबीएफ़सी के लिए विनियामकीय संरचना उनके आकार, गतिविधि तथा अनुमानित जोखिम के आधार पर चार स्तरों में होगी। सबसे निचले स्तर के एनबीएफ़सी को एनबीएफ़सी-बेस लेयर (एनबीएफ़सी-बीएल) कहा जाएगा। मध्य स्तर और ऊपरी स्तर के एनबीएफ़सी को क्रमशः एनबीएफ़सी-मिडिल लेयर (एनबीएफ़सी-एमएल) और एनबीएफ़सी-अपर लेयर (एनबीएफ़सी-यूएल) कहा जाएगा। शीर्ष स्तर को आदर्श रूप से रिक्त रखा जाना अपेक्षित है और इसे एनबीएफ़सी-टॉप लेयर (एनबीएफ़सी-टीएल) कहा जाएगा।

9. विभिन्न स्तरों में शामिल किए जाने वाले एनबीएफ़सी का विवरण नीचे निर्धारित अनुसार होगा।

ए.1 बेस लेयर

10. बेस लेयर में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) ₹1,000 करोड़ की आस्ति आकार से कम वाली गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी;

(2) निम्नलिखित गतिविधियों को संचालित करने वाली एनबीएफ़सी को शामिल किया जाएगा:

(i) एनबीएफ़सी-पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (एनबीएफ़सी-पी2पी);

(ii) एनबीएफ़सी-एकाउंट एग्रीगेटर (एनबीएफ़सी-एए);

(iii) गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी); और

(iv) [4]['टाइप I एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाली एनबीएफसी।]

ए.2 मिडिल लेयर

11. मिडिल लेयर में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) किसी भी आस्ति आकार की जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफ़सी-डी);

(2) ₹1,000 करोड़ और उससे अधिक आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी तथा

(3) निम्नलिखित गतिविधियों को संचालित करने वाले एनबीएफ़सी:

(i) स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (एसपीडी);

(ii) अवसंरचना ऋण निधि - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफ़सी);

(iii) कोर निवेश कंपनी (सीआईसी);

[4] 29 अप्रैल 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) संशोधन निदेश, 2026 के तहत 01 जुलाई 2026 से प्रतिस्थापित।

(iv) आवास वित्तकंपनी (एचएफसी); तथा

(v) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- अवसंरचना वित्त कंपनी (एनबीएफ़सी-आईएफसी)।

ए.3 अपर लेयर

12. [5][अपर लेयर में वे सभी एनबीएफसी शामिल होंगे जिन्हें विशेष रूप से रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक रूप से इन निर्देशों के अनुच्छेद 24 में दिए गए मानदंडों के आधार पर बढ़ी हुई नियामक आवश्यकता के लिए योग्य माना जाता है।]

ए.4 टॉप लेयर

13. टॉप लेयर को आदर्श स्थिति में खाली रहेगी।

14. इस लेयर में एनबीएफ़सी शामिल हो सकती हैं यदि रिज़र्व बैंक की यह राय है कि अपर लेयर की विशिष्ट एनबीएफसी से संभावित प्रणालीगत जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ऐसी एनबीएफसी अपर लेयर से टॉप लेयर में जाएंगी।

ए.5 विशिष्ट गतिविधियों को संपादित करने वाले एनबीएफ़सी का वर्गीकरण

15. चूंकि विनियामक संरचना में स्केल आधारित और गतिविधि आधारित विनियमन की परिकल्पना की गई है, इसलिए एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित निर्देश लागू होंगे:

(1) एनबीएफसी-पी2पी, एनबीएफसी-एए, एनओएफएचसी और [6]['टाइप । एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाली एनबीएफसी] हमेशा विनियामक संरचना के बेस लेयर में रहेंगे।

(2) एनबीएफसी-डी, सीआईसी, आईएफसी और एचएफसी को स्थिति के अनुसार मिडिल लेयर या अपर लेयर (और बेस लेयर में नहीं) में शामिल किया जाएगा। एसपीडी और आईडीएफ-एनबीएफसी हमेशा मिडिल लेयर में रहेंगे।

(3) शेष एनबीएफसी, जैसे निवेश और ऋण कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी), सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई), एनबीएफसी-फैक्टर्स और बंधक गारंटी कंपनियां (एनबीएफसी-एमजीसी) स्केल आधारित नियामक ढांचे के मापदंडों के आधार पर नियामकीय संरचना में किसी भी लेयर में शामिल की जा सकती हैं।

(4) [7][*****]

---

[5] 24 जून 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 से प्रतिस्थापित।

[6] 29 अप्रैल 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) संशोधन निदेश, 2026 के तहत 01 जुलाई 2026 से प्रतिस्थापित।

[7] 24 जून 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 से विलोपित।

ए.6 एनबीएफ़सी-एनडी, एनबीएफ़सी-एनडी-एसआई और एनबीएफ़सी-डी के संदर्भ

16. 01 अक्टूबर 2022 से, एनबीएफ़सी-एनडी (अर्थात् गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाले एनबीएफ़सी) के सभी संदर्भों का अर्थ एनबीएफ़सी-बीएल होगा तथा एनबीएफ़सी-डी (अर्थात् जमाराशि स्वीकार करने वाले एनबीएफ़सी) और एनबीएफ़सी-एनडी-एसआई (प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाले एनबीएफ़सी) के सभी संदर्भों का तात्पर्य, यथास्थिति के अनुसार एनबीएफ़सी-एमएल अथवा एनबीएफ़सी-यूएल होगा।

बशर्ते कि, ₹500 करोड़ और उससे अधिक किंतु ₹1,000 करोड़ से कम आस्ति आकार वाली मौजूदा एनबीएफ़सी-एनडी-एसआई, जिन्हें अनिवार्य रूप से मिडिल लेयर में शामिल नहीं किया जाना है, एनबीएफ़सी-बीएल कहलाएंगे।

ए.7 मिडिल लेयर में वर्गीकरण

ए.7.1 समूह में एकाधिक एनबीएफ़सी

17. किसी समान समूह का भाग होने वाले अथवा प्रवर्तकों के समान समूह द्वारा स्थापित एनबीएफ़सी को स्वतंत्र आधार पर नहीं देखा जाएगा। किसी समूह में शामिल सभी एनबीएफ़सी (जिसमें वे एनबीएफ़सी भी शामिल हैं जो हमेशा बेस लेयर में रहेंगे- जैसे एनबीएफ़सी-पी2पी, एनबीएफ़सी-एए, एनओएफएचसी तथा [8]['टाइप । एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाली एनबीएफसी]) की कुल आस्तियों को, उन्हें मिडिल लेयर में उनके वर्गीकरण के लिए निर्धारित सीमा हेतु, मिलाया जायगा।

18. यदि समूह में एनबीएफ़सी की समेकित आस्तियाँ, पैरा 17 के अनुसार समेकन के पश्चात, ₹1,000 करोड़ अथवा उससे अधिक हैं, तो समूह में शामिल प्रत्येक एनबीएफ़सी-आईसीसी, एनबीएफ़सी-एमएफआई, एनबीएफ़सी-फैक्टर तथा एमजीसी को मिडिल लेयर के एनबीएफ़सी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और फलस्वरूप उन पर मिडिल लेयर पर लागू विनियम लागू होंगे। तथापि, समूह के भीतर यदि कोई एनबीएफ़सी-डी है, तो वह भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – जनता की जमाराशियों की स्वीकृति) निदेश, 2025 के अधीन भी शासित होगा।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त समेकन के प्रयोजन से समूह को केवल उन एनबीएफ़सी की कुल आस्तियों का समेकन करना होगा जिन्हें आरबीआई द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। तथापि, यदि समूह में ₹100 करोड़ से कम आस्ति आकार वाली अपंजीकृत कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) ने सार्वजनिक निधियों का

[8] 29 अप्रैल 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) संशोधन निदेश, 2026 के तहत 01 जुलाई 2026 से प्रतिस्थापित।

उपयोग किया है, तो उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी सीआईसी की आस्तियों को भी समेकित किया जाएगा, किंतु इससे ऐसी अपंजीकृत सीआईसी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

19. **समूह में एकाधिक एनबीएफ़सी के संबंध में मिडिल लेयर में वर्गीकरण के उदाहरण निम्नानुसार हैं:**

(1) उदाहरण 1: एक समूह में छह एनबीएफ़सी हैं - ₹300 करोड़ आस्ति आकार वाला एक एनबीएफ़सी-आईसीसी; ₹300 करोड़ आस्ति आकार वाली एक एचएफसी; ₹500 करोड़ आस्ति आकार वाला एक एनबीएफ़सी-आईएफसी; ₹100 करोड़ आस्ति आकार वाला एक एनबीएफ़सी-एमएफआई; ₹50 करोड़ आस्ति आकार वाला एक एनबीएफ़सी-पी2पी; तथा ₹70 करोड़ आस्ति आकार वाला [9]['टाइप। एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाली एनबीएफसी]।

विभिन्न स्तरों में एनबीएफ़सी के वर्गीकरण का स्पष्टीकरण

एकल आधार पर**,** एसबीआर विनियामकीय रूपरेखा के अनुसार,

- एचएफसी और आईएफसी, सामान्यतः मिडिल लेयर में शामिल होंगे, किंतु पर्यवेक्षी फिल्टरिंग प्रक्रिया के आधार पर उन्हें अपर लेयर में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- एनबीएफ़सी-आईसीसी और एनबीएफ़सी-एमएफआई को बेस लेयर में वर्गीकृत किया जाएगा, क्योंकि इस उदाहरण में उनका आस्ति आकार ₹1,000 करोड़ से कम है।
- एनबीएफ़सी-पी2पी तथा 'टाइप । एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाली एनबीएफसी, सामान्यतः बेस लेयर में शामिल होंगे।

समूह में सभी एनबीएफ़सी की आस्तियों के समेकन के आधार पर, समूह के एनबीएफ़सी का समेकित आस्ति आकार ₹1,320 करोड़ हो जाता है, जो मिडिल लेयर में वर्गीकरण के लिए ₹1,000 करोड़ की आस्ति सीमा से अधिक है। अतः एनबीएफ़सी-आईसीसी और एनबीएफ़सी-एमएफआई को अब मिडिल लेयर में वर्गीकृत किया जाएगा। इस उदाहरण में एचएफसी और आईएफसी मिडिल लेयर में ही बने रहेंगे। तथापि, एनबीएफ़सी-पी2पी और 'टाइप। एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाली एनबीएफसीबेस लेयर में ही बने रहेंगे।

[9] 29 अप्रैल 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) संशोधन निदेश, 2026 के तहत 01 जुलाई 2026 से प्रतिस्थापित।

(2) उदाहरण 2 : यदि उपर्युक्त उदाहरण में एनबीएफ़सी-आईसीसी का आस्ति आकार ₹10 करोड़ हो, तो क्या उसे फिर भी मिडिल लेयर में वर्गीकृत किया जाएगा?

स्पष्टीकरण: हाँ। एनबीएफ़सी-आईसीसी और एनबीएफ़सी-एमएफआई, दोनों को फिर भी मिडिल लेयर में वर्गीकृत किया जाएगा, क्योंकि समूह में एनबीएफ़सी की समेकित आस्तियाँ ₹1,030 करोड़ हैं, जो मिडिल लेयर के लिए ₹1,000 करोड़ की आस्ति सीमा से अधिक है।

20. सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रत्येक वर्ष समूह में सभी एनबीएफ़सी की आस्ति आकार, 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, प्रमाणित करना होगा। यह प्रमाणपत्र आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित एनबीएफ़सी पंजीकृत हैं।

21. पैरा 17 से 20 में निहित प्रावधान किसी एनबीएफ़सी को अपर लेयर में वर्गीकृत करने के लिए लागू नहीं होंगे।

ए.7.2 एनबीएफ़सी-एमएल की स्थिति निर्धारित करने के मानदंड

22. जब कोई एनबीएफ़सी ₹1,000 करोड़ अथवा उससे अधिक के आस्ति आकार तक पहुँच जाता है, तो वह इन निदेशों के पैरा 34 द्वारा लागू विनियामकीय अपेक्षाओं के अधीन होगा, भले ही अंतिम तुलन-पत्र की तारीख को उसके पास इतनी आस्तियाँ न रही हों। ऐसे सभी गैर-जमाराशि स्वीकार करने वाले एनबीएफ़सी को, जब भी वे ₹1,000 करोड़ का आस्ति आकार प्राप्त करें, समय-समय पर एनबीएफ़सी-एमएल के लिए जारी विविनियमों/ निदेशों का अनुपालन करना होगा।

23. गतिशील परिवेश में, किसी एनबीएफ़सी का आस्ति आकार किसी विशेष माह में ₹1,000 करोड़ से नीचे आ सकता है, जो वास्तविक आकार में कमी के बदले अस्थायी उतार-चढ़ाव के कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में एनबीएफ़सी, आरबीआई को अपना अगला लेखापरीक्षित तुलन-पत्र प्रस्तुत करने तक तथा इस संबंध में आरबीआई से विशेष छूट प्राप्त होने तक, रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता रहेगा और एनबीएफ़सी-एमएल पर लागू वर्तमान निदेशों का अनुपालन करती रहेगी।

ए.8 अपर लेयर में वर्गीकरण

ए.8.1 अपर लेयर में एनबीएफसी की पहचान के लिए मानदंड

24. [10][अपर लेयर में में वित्तीय वर्ष के नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार ₹1,00,000 करोड़ या उससे अधिक की आस्ति आकार वाली एनबीएफसी शामिल होंगी।]

[10] 24 जून 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 से प्रतिस्थापित।

25. [11][*****]

26. [12][*****]

ए.8.2 संक्रमण पथ

ए.8.2.1 संक्रमण योजना

27. एक बार एनबीएफसी-यूएल के रूप में शामिल करने के लिए एनबीएफसी की पहचान हो जाने के बाद, एनबीएफसी को विनियमन विभाग, रिजर्व बैंक द्वारा इसके वर्गीकरण की सूचना दी जाएगी और इसे अपर लेयर पर लागू विनियमन के अंतर्गत रखा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित समय-सीमा का पालन किया जाएगा:

(1) आरबीआई द्वारा एनबीएफसी-यूएल में शामिल किए जाने के संबंध में सूचना दिए जाने के 3 महीने के भीतर, एनबीएफसी संवर्धित विनियामकीय ढांचे को अपनाने के लिए एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेगी और नए विनियमों के पालन के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेगी।

(2) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि रिजर्व बैंक से एनबीएफसी-यूएल के रूप में वर्गीकरण के संबंध में सूचना की तिथि से अधिकतम 24 महीने की समयावधि के भीतर एनबीएफसी-यूएल के लिए निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए । संक्रमण की अवधि के दौरान, पर्यवेक्षी दृष्टिकोण से व्यवसाय को अंशांकित रूप में वृद्धि की अनुमति दी जा सकती है। कार्यान्वयन के लिए योजना को तैयार करने के लिए प्रदान की गई 3 महीने की अवधि को उपरोक्त वर्णित 24 महीने की समय-अवधि के भीतर समाहित किया जाएगा।

(3) वर्धित विनियामकीय आवश्यकता के कार्यान्वयन की दिशा में बोर्ड द्वारा अनुमोदित रोडमैप रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा और यह पर्यवेक्षी समीक्षा के अधीन होगा।

ए. 8.2.2 एनबीएफ़सी का अपर लेयर में संक्रमण

28. एक बार जब एनबीएफसी को एनबीएफसी-यूएल के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, तो लेयर में इसके वर्गीकरण से कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए यह वर्धित विनियामकीय आवश्यकता के अधीन होगा, चाहे यह बाद के वर्ष/वर्षों में [13][निर्धारित] मानदंडों को पूरा नहीं करता है । दूसरे शब्दों में, यह वर्धित विनियामकीय ढांचे से केवल तभी बाहर जाने के लिए पात्र होगा जब यह लगातार पांच वर्षों तक वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

---

[11] 24 जून 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 से विलोपित।

[12] 24 जून 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 से विलोपित।

[13] 24 जून 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 से प्रतिस्थापित।

29. हालांकि एनबीएफ़सी-यूएल पांच वर्ष की अवधि से पहले वर्धित विनियामकीय ढांचे से बाहर हो सकता है, यदि इस प्रकार बाहर जाना बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार परिचालन को पुनः समायोजित करने के लिए स्वैच्छिक रणनीतिक उपाय के रूप में है। यदि परिचालनों की कमी एनबीएफसी के लिए विशिष्ट प्रतिकूल स्थितियों और उसकी बिगड़ती वित्तीय स्थितियों के कारण होती है तो यह शर्त लागू नहीं होगी।

30. [14][*****]

ए.8 .2.3 एनबीएफसी-यूएल की पहचान के लिए मानदंड की समीक्षा

31. [15][एनबीएफसी-यूएल की पहचान के मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पैरा 24 में निर्दिष्ट एनबीएफसी-यूएल की पहचान के लिए परिसंपत्ति आकार सीमा की प्रत्येक तीन वर्ष में समीक्षा की जाएगी।]

बी. एसबीआर रूपरेखा के अंतर्गत विनियमों की प्रयोज्यता

32. एनबीएफ़सी की निम्न लेयरों पर लागू विनियामकीय प्रावधान, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, उच्चतर लेयरों में शामिल एनबीएफ़सी पर स्वतः लागू होंगे। एसबीआर के अंतर्गत विभिन्न लेयरों में शामिल एनबीएफ़सी पर लागू विनियामकीय निर्देशों का विवरण निम्नानुसार होगा:

बी.1 एनबीएफ़सी-बीएल

33. ये निदेश एनबीएफ़सी-बीएल पर लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, इन निदेशों के संबंधित पैरा 4 और 5 में सूचीबद्ध मास्टर निदेशों में निहित प्रावधान, संबंधित मास्टर निदेशों में जिस सीमा तक एनबीएफ़सी-बीएल पर लागू किए गए हैं, उसी सीमा तक एनबीएफ़सी-बीएल पर लागू होंगे।

बी. 2 एनबीएफ़सी-एमएल

34. एनबीएफ़सी-बीएल पर लागू विनियामकीय अनुदेश, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, एनबीएफ़सी-एमएल पर भी लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, इन निदेशों के पैरा 4 और 5 में सूचीबद्ध मास्टर निदेशों में निर्दिष्ट विनियामकीय अनुदेश, संबंधित मास्टर निदेशों में जिस सीमा तक एनबीएफ़सी-एमएल पर लागू किए गए हैं, उसी सीमा तक एनबीएफ़सी-एमएल पर लागू होंगे।

---

[14] 24 जून 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 से विलोपित।

[15] 24 जून 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 से प्रतिस्थापित।

बी.3 एनबीएफ़सी-यूएल

35. एनबीएफ़सी-एमएल पर लागू विनियामकीय अनुदेश, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, एनबीएफ़सी-यूएल पर भी लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, इन निदेशों के संबंधित पैरा 4 और 5 में सूचीबद्ध मास्टर निदेशों में निर्दिष्ट विनियामकीय निर्देश, संबंधित मास्टर निदेशों में जिस सीमा तक एनबीएफ़सी-यूएल पर लागू किए गए हैं, उसी सीमा तक एनबीएफ़सी-यूएल पर लागू होंगे।

बी. 4 एनबीएफ़सी-टीएल

36. विनियामकीय संरचना की टॉप लेयर में आने वाले एनबीएफ़सी, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्चतर पूंजी प्रभार के अधीन होंगे। ऐसी उच्चतर अपेक्षाओं के संबंध में एनबीएफ़सी को टॉप लेयर में उसके वर्गीकरण के समय विशेष रूप से सूचित किया जाएगा। इन एनबीएफ़सी के साथ उन्नत एवं गहन पर्यवेक्षी सहभागिता की जाएगी।

.[16][बी5. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समूह संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश

36ए. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की समूह संस्थाएं, जो एनबीएफसी हैं, उन्हें समय-समय पर अद्यतित, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय सेवाओं का उपक्रम) निर्देश, 2025 के तहत निर्धारित लागू प्रावधानों का पालन करना चाहिए, यदि कोई विशेष व्यवसाय/ गतिविधि एनबीएफसी और उसके मूल बैंक दोनों द्वारा की जा रही हो।

स्पष्टीकरण: ये प्रावधान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समूह इकाइयों के अंतर्गत आने वाली गैर-सरकारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होते हैं, चाहे इन निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार उनका स्तर-वार वर्गीकरण कुछ भी हो। हालांकि, ऐसी एनबीएफसी को स्केल-आधारित विनियमन के अंतर्गत नियामक संरचना के अनुसार, अर्थात् अध्याय II के खंड A के अनुसार, उसी स्तर में वर्गीकृत किया जाता रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई आईडीएफ-एनबीएफसी, जो किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की समूह इकाई है, तो सूचीबद्ध होने की आवश्यकता को छोड़कर, एनबीएफसी - ऊपरी स्तर पर लागू होने वाले विनियम आईडीएफ-एनबीएफसी पर लागू होंगे। हालांकि, स्केल-आधारित विनियमन के अंतर्गत नियामक संरचना के अनुसार, आईडीएफ-एनबीएफसी मध्य स्तर में ही रहेगी।]

[16] 24 जून 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) दूसरा संशोधन निदेश, 2026 से अंतःस्थापित।

अध्याय-III – पंजीकरण संबंधी अपेक्षाएँ

ए. प्रमुख व्यवसाय मानदंड

37. कोई कंपनी, जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45I के खंड (c) के साथ पठित खंड (f) में परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में करती है, उसे एनबीएफ़सी माना जाएगा और उसे अधिनियम की धारा 45IA के अंतर्गत पंजीकरण कराना अपेक्षित होगा।

38. प्रमुख व्यवसाय पद को आरबीआई अधिनियम, 1934 में परिभाषित नहीं किया गया है। अतः किसी कंपनी की एनबीएफ़सी के रूप में पहचान करने के लिए 8 अप्रैल 1999 की प्रेस विज्ञप्ति सं. 1998-99/1269 में निर्धारित निम्नलिखित प्रमुख व्यवसाय मानदंड का संदर्भ लिया जाएगा, जो कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित तुलन-पत्र से परिलक्षित आस्तियों और आय के स्वरूप, दोनों को ध्यान में रखते हैं और ये मानदंड इस प्रकार हैं:

किसी कंपनी को एनबीएफ़सी माना जाएगा, यदि उसकी वित्तीय आस्तियाँ, (अमूर्त आस्तियों को घटाने के पश्चात) उसकी कुल आस्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक हों; और उसकी वित्तीय आस्तियों से होने वाली आय, उसकी सकल आय के 50 प्रतिशत से अधिक हो। किसी कंपनी के प्रमुख व्यवसाय का निर्धारण करने के लिए उपर्युक्त दोनों परीक्षणों का पूरा होना आवश्यक होगा।

.[17][ए.1. सार्वजनिक निधि का उपयोग न करने वाली और ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली एनबीएफसी

38ए. 'सार्वजनिक निधि का उपयोग न करने वाली और ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली एनबीएफसी' के लिए विनियामक आवश्यकताएं निम्न प्रकार हैं:

(1) 'सार्वजनिक निधि का उपयोग न करने वाली और ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली एनबीएफसी' और जिनकी नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार परिसंपत्ति का आकार ₹1,000 करोड़ से कम है, उन्हें इन निर्देशों के अनुच्छेद 65ए के अनुसार 1 जुलाई, 2026 से आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45आईए और 45आईसी के प्रावधानों से छूट दी गई है। मौजूदा 'सार्वजनिक निधि का उपयोग न करने वाली और ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली एनबीएफसी', जिनमें 'टाइप । एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाली कंपनियां भी शामिल हैं, और जो छूट के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं, वे छह महीने की अवधि के भीतर, यानी 31 दिसंबर, 2026 तक, भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सकती हैं।

[17] 29 अप्रैल 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) संशोधन निदेश, 2026 के तहत 01 जुलाई 2026 से अंतःस्थापित।

स्पष्टीकरण:

I. एनबीएफसी जो वर्तमान में छूट के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें पूरा कर लेंगी, वे भी उस समय पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने की पात्र होंगी।

II. समूह में एक से अधिक 'अपंजीकृत टाइप I एनबीएफसी' होने की स्थिति में, ऐसी सभी 'अपंजीकृत टाइप I एनबीएफसी' की आस्ति राशि को जोड़ा जाएगा। यदि समेकित आस्तिराशि ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक है, तो समूह की सभी 'अपंजीकृत टाइप I एनबीएफसी' को 'टाइप I एनबीएफसी' के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है और वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए लागू निर्देशों के अधीन होंगी।

(2) पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन प्रवाह (PRAVAAH) के माध्यम से, कंपनी के लेटर हेड पर, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ किया जाएगा:

(i) पंजीकरण का मूल प्रमाण पत्र (जिसे रिजर्व बैंक को भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है)।

(ii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए एनबीएफसी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।

(iii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सार्वजनिक निधियों और ग्राहक इंटरफेस की स्थिति पर विवरण।

(iv) वैधानिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र जो प्रमाणित करता है कि वर्तमान तिथि पर एनबीएफसी के पास सार्वजनिक निधि नहीं है और उसका कोई ग्राहक इंटरफेस नहीं है।

(v) बोर्ड संकल्प जिसमें कहा गया है –

(क) कि एनबीएफसी के पास वर्तमान तिथि तक सार्वजनिक निधि और ग्राहक इंटरफेस नहीं है और एनबीएफसी का भविष्य में सार्वजनिक निधियों का उपयोग करने और ग्राहक इंटरफेस रखने का कोई इरादा नहीं है।

(ख) कि यदि एनबीएफसी भविष्य में सार्वजनिक निधियों का उपयोग करने और/या ग्राहक इंटरफेस रखने का इरादा रखती है, तो उसे 'टाइप II एनबीएफसी ' के रूप में पंजीकरण कराना होगा।

(ग) यदि एनबीएफसी की आस्ति का आकार ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक हो जाता है, तो उसे 'टाइप I एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्राप्त कराना होगा।

(vi) बोर्ड से यह वचन कि एनबीएफसी अपनी वित्तीय विवरणों के लेखा संबंधी नोट्स में 'अपंजीकृत टाइप I एनबीएफसी' स्थिति का खुलासा करेगी और साथ ही सार्वजनिक निधियों और ग्राहक इंटरफेस की स्थिति का भी खुलासा करेगी।

(3) पंजीकरण रद्द करने के उपर्युक्त अनुरोधों को माना जाएगा, बशर्ते कि रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि एनबीएफसी सार्वजनिक निधि का उपयोग किए बिना और ग्राहक इंटरफेस के बिना संचालन करने के लिए एक सचेत और दीर्घकालिक व्यापार मॉडल के साथ काम कर रहा है।

(4) 'अपंजीकृत टाइप I एनबीएफसी' के वैधानिक लेखा परीक्षक सार्वजनिक निधियों या ग्राहक इंटरफेस संबंधी शर्तों या छूट के लिए किसी अन्य शर्त के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक को अपवाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(5) 'सार्वजनिक निधि का उपयोग न करने वाली और ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली एनबीएफसी' और जिनकी आस्ति का आकार ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक है, ऐसी एनबीएफसी 'टाइप I एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण के लिए कंपनी के लेटरहेड पर, आवश्यक दस्तावेजों के साथ और पैराग्राफ 38ए(2)(i) से (iv) और 38ए(2)(v)(a) से (b) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ, प्रवाह (PRAVAAH) के माध्यम से आवेदन करेंगी। बैंक द्वारा 'टाइप I एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र तब जारी किया जाएगा जब वह संतुष्ट हो कि कंपनी द्वारा पंजीकरण की शर्तें पूरी की गई हैं।

(6) टाइप I एनबीएफसी को अपने वित्तीय विवरणों के लेखा नोटों में यह खुलासा करना होगा कि कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निधि का उपयोग नहीं किया और न ही ग्राहक इंटरफेस रखा। इसके अलावा, टाइप I एनबीएफसी के वैधानिक लेखा परीक्षकों को सार्वजनिक निधि और/या ग्राहक इंटरफेस संबंधी शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग को एक अपवाद रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(7) मौजूदा 'सार्वजनिक निधि का उपयोग न करने वाली और ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली एनबीएफसी' जिनके पास 'टाइप I एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है, वे 'टाइप I एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाली एनबीएफसी को उपलब्ध रियायती नियामक आवश्यकताओं के लिए अपात्र होंगी।

(8) स्पष्टता के लिए, यह दोहराया जाता है कि यदि इनमें से कोई भी एनबीएफसी सार्वजनिक निधि प्राप्त करना चाहती है और/या ग्राहकों इंटरफेस रखना चाहती है, तो उसे अनिवार्य रूप से 'टाइप II एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण कराना होगा।

(9) इन निर्देशों के अनुच्छेद 65ए में दी गई छूट के बावजूद, यदि कोई 'अपंजीकृत टाइप I एनबीएफसी' वित्तीय सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश करने का इरादा रखती है, तो उसे रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत होना आवश्यक होगा और 'टाइप I एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाली एनबीएफसी की तरह विनियमित होना होगा और साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय सेवाओं का उपक्रम) निर्देश, 2025 (समय-समय पर संशोधित) के अनुच्छेद 15 से 19 के प्रावधानों के अनुसार शासित होना होगा, जिसमें इस उद्देश्य के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता भी शामिल है। इसके अलावा, 'अपंजीकृत टाइप I एनबीएफसी' गैर-वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश नहीं करेगी।

(10) यह स्पष्ट किया जाता है कि 'अपंजीकृत टाइप I एनबीएफसी' को दी गई छूट केवल आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45IA और 45IC के प्रावधानों से ही है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था की गतिविधियों

के संचालन के कारण, ये एनबीएफसी आरबीआई अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB के अन्य प्रावधानों के अधीन रहेंगी, और रिजर्व बैंक के पास किसी भी चिंता/ जोखिम के मामले में 'अपंजीकृत टाइप। एनबीएफसी' को विशेष रूप से आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार सुरक्षित है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश उन पर तभी लागू होंगे जब वे विशेष रूप से उन्हें संबोधित हों, फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आरबीआई अधिनियम, 1934 के अध्याय V के तहत 'अपंजीकृत टाइप । एनबीएफसी' के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है। 'अपंजीकृत टाइप। एनबीएफसी' पर लागू किसी भी प्रावधान का उल्लंघन गंभीर माना जाएगा और आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

नोट: 'सार्वजनिक निधि का उपयोग न करने वाली और ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली एनबीएफसी' के लिए छूट और पंजीकरण आवश्यकताओं से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) 'एनबीएफसी के बारे में आपके जानने योग्य संपूर्ण जानकारी' के खंड H में उपलब्ध हैं।]

बी. निवल स्वामित्व वाली निधि संबंधी अपेक्षा

39. आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45IA की उपधारा (1) के खंड (b) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय प्रारंभ करने अथवा संचालित करने के लिए एनबीएफ़सी-आईसीसी, एनबीएफ़सी-एमएफआई तथा एनबीएफ़सी-फैक्टर हेतु अपेक्षित निवल स्वामित्व वाली निधि (एनओएफ) ₹10 करोड़ निर्धारित की है।

40. एनबीएफ़सी-पी2पी, एनबीएफ़सी-एए तथा [18]['टाइप । एनबीएफसी' के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाली एनबीएफसी] के लिए एनओएफ ₹2 करोड़ होगी।

41. एनबीएफ़सी-आईएफसी तथा आईडीएफ-एनबीएफ़सी के लिए एनओएफ ₹300 करोड़ होगी।

42. मौजूदा एनबीएफ़सी अर्थात् एनबीएफ़सी-आईसीसी, एनबीएफ़सी-एमएफआई (पूर्वोत्तर क्षेत्र में पंजीकृत एनबीएफ़सी के लिए एनओएफ संबंधी अपेक्षा में कोई पृथक व्यवस्था नहीं होगी) तथा एनबीएफ़सी-फैक्टर को ₹10 करोड़ की एनओएफ की अपेक्षा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणबद्ध मार्ग प्रदान किया गया है।

[18] 29 अप्रैल 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) संशोधन निदेश, 2026 के तहत 01 जुलाई 2026 से प्रतिस्थापित।

एनबीएफसी	वर्तमान एनओएफ	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2027 तक
एनबीएफसी – आईसीसी	₹2 करोड़	₹5 करोड़	₹10 करोड़
एनबीएफसी - एमएफआई	₹5 करोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹2 करोड़)	₹7 करोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹5 करोड़)	₹10 करोड़
एनबीएफसी - फैक्टर	₹5 करोड़	₹7 करोड़	₹10 करोड़

43. निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित स्तर प्राप्त करने में विफल रहने वाले एनबीएफ़सी, एनबीएफ़सी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) धारण करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

44. निम्नलिखित श्रेणियों के एनबीएफ़सी के लिए विशिष्ट एनओएफ अपेक्षा/अन्य पंजीकरण संबंधी अपेक्षाएँ निम्नलिखित निदेशों में विहित हैं—

(1) एचएफसी – भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियां) निदेश, 2025 के पैरा 16 और 17।

(2) एनबीएफ़सी-पी2पी – भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पीयर टू पीयर लेंडींग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2025 के पैरा 11 से 20।

(3) एनबीएफ़सी-एए – भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – एकाउंट एग्रीगेटर) निदेश, 2025 के पैरा 11 और 12।

(4) सीआईसी – भारतीय रिज़र्व बैंक (कोर निवेश कंपनियां) निदेश, 2025 के पैरा 14 से 17।

(5) एसपीडी – भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर) निदेश, 2025 के पैरा 13।

(6) एमजीसी – भारतीय रिज़र्व बैंक (बंधक गारंटी कंपनियां) निदेश, 2025 के पैरा 11 से 16।

(7) एनओएफएचसी – भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनियां) निदेश, 2025 के पैरा 5 और 6।

(8) एनबीएफ़सी-फैक्टर और फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत एनबीएफ़सी-आईसीसी – भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – विविध) निदेश, 2025 के पैरा 36 से 41।

सी. वैकल्पिक निवेश निधियों के माध्यम से निवेश – एनबीएफ़सी की निवल स्वामित्व वाली निधि की गणना

45. आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45IA के अनुसार, चुकता इक्विटी पूंजीगत और निर्बंध आरक्षित निधियों के योग के 10 प्रतिशत से अधिक की सहायक कंपनियों, उसी समूह की कंपनियों तथा अन्य एनबीएफ़सी में किए गए निवेश/ दिए गए ऋण/ एक्सपोजर को एनओएफ की गणना करने के लिए घटाया जाता है।

46. एनओएफ की गणना के संदर्भ में, किसी एनबीएफ़सी द्वारा उसी समूह की संस्थाओं में, प्रत्यक्ष रूप से अथवा वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया गया निवेश समान रूप से माना जाएगा, बशर्ते कि एआईएफ (कंपनी के रूप में गठित) में उपलब्ध निधियों का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक भाग एनबीएफ़सी से प्राप्त हुआ हो; अथवा (ट्रस्ट के रूप में गठित) एआईएफ के मामले में एनबीएफ़सी उसका लाभकारी स्वामी हो और ट्रस्ट में उपलब्ध निधियों का 50 प्रतिशत भाग एनबीएफ़सी से प्राप्त हुआ हो।

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन के लिए, **"**लाभकारी स्वामित्व**"** का अर्थ ट्रस्ट में निर्णय लेने अथवा निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति धारण करना तथा ट्रस्ट की गतिविधियों से उत्पन्न लाभों का प्राप्तकर्ता होना है। एनओएफ की गणना करते समय, सार को रूप पर प्राथमिकता दी जाएगी।

डी. **एफएटीएफ-गैर अनुपालित क्षेत्राधिकारों से निवेश**

47. वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) का अनुपालन न होने वाले क्षेत्राधिकारों से एनबीएफ़सी में किए गए निवेश को अनुपालक क्षेत्राधिकारों से किए गए निवेश के समान नहीं माना जाएगा। एफएटीएफ के अनुपालक न होने वाले क्षेत्राधिकारों से अथवा उनके माध्यम से आने वाले नए निवेशकों को, चाहे वे मौजूदा एनबीएफ़सी में निवेश कर रहे हों अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की इच्छुक कंपनियों में, निवेश प्राप्तकर्ता संस्था में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से **"**महत्वपूर्ण प्रभाव**"** अर्जित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों में परिभाषित है। दूसरे शब्दों में, ऐसे क्षेत्राधिकारों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले नए निवेशकों की कुल हिस्सेदारी एनबीएफ़सी की मतदान शक्ति, जिसमें संभावित मतदान शक्ति भी शामिल है, के 20 प्रतिशत की सीमा से कम होनी चाहिए।

नोट:

(i) वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) समय-समय पर ऐसे क्षेत्राधिकारों की पहचान करता है जहां धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के उपाय कमजोर है। यह पहचान अपनी इन दो सूचियों के जारी की जाती है: i) उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है, और ii) अधिक निगरानी वाले क्षेत्राधिकार जिनका नाम उपर्युक्त दोनों सूचियों में शामिल नहीं है**,** उसे एफएटीएफ-अनुपालक क्षेत्राधिकार कहा जाएगा।

(ii) संभावित मतदान शक्ति ऐसे लिखतों से उत्पन्न हो सकती है जो इक्विटी में परिवर्तनीय हों, अथवा ऐसे अन्य लिखतों, जिनमें सशर्त मतदान अधिकार हों, संविदात्मक व्यवस्थाओं आदि से, जो भविष्य में निवेशकों को मतदान अधिकार, जिसमें सशर्त मतदान अधिकार भी शामिल हैं, प्रदान करते हों। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एफएटीएफ के अनुपालक न होने वाले क्षेत्राधिकारों से आने वाला नया निवेश i) मौजूदा मतदान शक्तियों के 20 प्रतिशत से कम हो; तथा ii)

मौजूदा और संभावित मतदान शक्तियों, दोनों के 20 प्रतिशत से कम हो, यह मानते हुए कि संभावित मतदान अधिकार वास्तविक रूप ले चुके हैं।

48. मौजूदा एनबीएफ़सी में ऐसे निवेशक, जिन्होंने स्रोत अथवा मध्यवर्ती क्षेत्राधिकार/ क्षेत्राधिकारों को एफएटीएफ के अनुपालक न होने वाले क्षेत्राधिकार के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले निवेश किया था, भारत में व्यवसाय की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपने निवेश को जारी रख सकते हैं अथवा प्रचलित विनियमों के अनुसार अतिरिक्त निवेश कर सकते हैं।

अध्याय-IV – आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट

रिज़र्व बैंक एतदद्वारा आरबीआई अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB के अंतर्गत परिभाषित कुछ विनिर्दिष्ट एनबीएफ़सी/ गैर-बैंकिंग संस्थाओं/ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान करता है।

ए. आरबीआई अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB के प्रावधानों से निम्नलिखित को छूट

49. ऐसी गैर-बैंकिंग संस्था**,** जिसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) के अंतर्गत भुगतान प्रणाली का परिचालन करने तथा प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

50. यह छूट केवल ऐसी गैर-बैंकिंग संस्था द्वारा प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करने के लिए प्राप्त धनराशि तक सीमित और प्रतिबंधित होगी।

बी. आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA, 45-IB और 45-IC के प्रावधानों से निम्नलिखित को छूट

51. ऐसी कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो—

(1) केवल भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 में परिभाषित सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करती हो, बशर्ते किसी परिवार की मासिक ऋण अदायगी बाध्यताएं उसकी मासिक पारिवारिक आय के 50 प्रतिशत से अधिक न हों; और

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त हो; और

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जनता की जमाराशियों की स्वीकृति) निदेश, 2025 में परिभाषित जनता की जमाराशियां स्वीकार न करती हो; और

(4) जिसका आस्ति आकार ₹100 करोड़ से कम हो।

52. **प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कंपनियां**, अर्थात ऐसी गैर-बैंकिंग संस्थाएं, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत आरबीआई के साथ पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी अथवा पुनर्निर्माण कंपनी हों।

53. **निधि कंपनियां**, अर्थात ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620A के अंतर्गत निधि कंपनी के रूप में अधिसूचित किया गया हो।

54. **पारस्परिक लाभ कंपनियां**, अर्थात ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जनता की जमाराशियों की स्वीकृति) निदेश, 2025 में परिभाषित पारस्परिक लाभ कंपनी हों।

55. **चिट कंपनियां**, अर्थात ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जो चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम 40) की धारा 2 के खंड (b) में परिभाषित चिट का व्यवसाय करती हों।

56. **मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां**, अर्थात ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करती हों—

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अंतर्गत व्यापार बैंकर के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत हों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (व्यापार बैंकिंग) नियम, 1992 और व्यापार बैंकिंग के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विनियमन), 1992 के अनुसार व्यापार बैंकिंग का व्यवसाय करती हों;

(2) केवल अपने व्यापार बैंकिंग व्यवसाय के भाग के रूप में प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करती हों;

(3) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45I(c) में उल्लिखित किसी अन्य वित्तीय गतिविधि का संचालन नहीं करती हों; और

(4) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जनता की जमाराशियों की स्वीकृति) निदेश, 2025 में परिभाषित जनता की जमाराशियां स्वीकार अथवा धारित नहीं करती हों।

57. उपर्युक्त पैरा 51 से 56 में उल्लिखित संस्थाएं को, इन निदेशों के (अध्याय-IV को छोड़कर) अन्य प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जनता की जमाराशियों की स्वीकृति) निदेश, 2025 तथा इन निदेशों के संबंधित पैरा 5 में सूचीबद्ध निदेशों के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त होंगी।

58. **बंधक गारंटी कंपनियां**, अर्थात ऐसी कंपनी जिसे केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45I(f)(iii) के संदर्भ में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में अधिसूचित किया गया हो तथा जो बंधक गारंटी कंपनियों के पंजीकरण संबंधी योजना के अंतर्गत आरबीआई के साथ पंजीकृत हो।

59. **आवास वित्त संस्थाएं**, अर्थात ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 2(d) में परिभाषित आवास वित्त संस्था हो।

सी. आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA, 45-IB, 45-IC, 45-MB और 45-MC के प्रावधानों से निम्नलिखित को छूट:

60. **बीमा कंपनियां**, अर्थात ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो बीमा व्यवसाय करती हों, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3 के अंतर्गत जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करती हों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जनता की जमाराशियों की स्वीकृति) निदेश, 2025 में परिभाषित जनता की जमाराशियां न तो धारित करती हों और न ही स्वीकार करती हों।

61. **स्टॉक एक्सचेंज**, अर्थात ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हों तथा जनता की जमाराशियां न तो धारित करती हों और न ही स्वीकार करती हों।

62. **स्टॉक ब्रोकर अथवा उप-ब्रोकर**, अर्थात ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो स्टॉक ब्रोकर अथवा उप-ब्रोकर का व्यवसाय करती हों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अंतर्गत प्राप्त वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करती हों तथा जनता की जमाराशियां न तो धारित करती हों और न ही स्वीकार करती हों।

63. उपर्युक्त पैरा 60 से 62 में उल्लिखित संस्थाएं को, इन निदेशों के (अध्याय-IV को छोड़कर) अन्य प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जनता की जमाराशियों की स्वीकृति) निदेश, 2025 तथा इन निदेशों के संबंधित पैरा में सूचीबद्ध निदेशों के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त होंगी।

डी. आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA और 45-IC के प्रावधानों से निम्नलिखित को छूट

64. **वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) कंपनियां**, अर्थात ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो वैकल्पिक निवेश निधि हों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 (1992 का अधिनियम 15) के अंतर्गत प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करती हों तथा जनता की जमाराशियां न तो धारित करती हों और न ही स्वीकार करती हों।

65. ऐसी कंपनियां, इन निदेशों के (अध्याय-IV को छोड़कर) अन्य प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जनता की जमाराशियों की स्वीकृति) निदेश, 2025 तथा इन निदेशों के संबंधित पैरा 5 में सूचीबद्ध निदेशों के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त होंगी।

[19][65ए. 'सार्वजनिक निधि का उपयोग न करने वाली और ग्राहक इंटरफेस न रखने वाली एनबीएफसी', निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

(1) यह अपने सचेत और दीर्घकालिक व्यावसायिक मॉडल स्वरूप सार्वजनिक निधि और ग्राहक इंटरफेस के बिना संचालित होती है;

(2) नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार इसकी आस्ति का आकार ₹1,000 करोड़ से कम है;

(3) यह वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में एक वार्षिक बोर्ड संकल्प पारित करती है कि कंपनी इस वर्ष के दौरान सार्वजनिक निधि का उपयोग नहीं करेगी और न ही ग्राहक इंटरफेस रखेगी; और

(4) यह वित्तीय विवरणों के लेखा नोटों में यह खुलासा करती है कि यह इन निर्देशों में परिभाषित 'अपंजीकृत टाइप। एनबीएफसी' है, साथ ही सार्वजनिक निधि और ग्राहक इंटरफेस की स्थिति का भी खुलासा करती है।]

ई. आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के प्रावधानों से निम्नलिखित को छूट

66. **अपंजीकृत कोर निवेश कंपनियां**, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (कोर निवेश कंपनियां) निदेश, 2025 में वर्णित स्वरूप की कोर निवेश कंपनी वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां।

एफ. आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA(1)(b) के प्रावधानों से निम्नलिखित को छूट

67. **कोर निवेश कंपनियां**, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (कोर निवेश कंपनियां) निदेश, 2025 में परिभाषित कोर निवेश कंपनी स्वरूप वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, बशर्ते कि वे उक्त निदेशों में विनिर्दिष्ट पूंजी संबंधी अपेक्षाओं और लिवरेज अनुपात का पालन करती हों।

[19] 29 अप्रैल 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढाँचा) संशोधन निदेश, 2026 के तहत 01 जुलाई 2026 से अंतःस्थापित।

अध्याय-V – रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएँ

ए. रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएँ

68. रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं का सभी एनबीएफ़सी द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

अध्याय-VI – निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यावृति

69. इन निदेशों के जारी होने के साथ, परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 दिनांक 28 नवंबर 2025 के माध्यम से सूचित पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के ढांचे से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होते हैं, को निरस्त कर दिया गया है। पहले से निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

70. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित रूप से की गई या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा शासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी अनुमोदनों या स्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा शासित माना जाएगा। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से प्रभाव नहीं होगा:

ए. इसके तहत अधिग्रहित, प्रोदभूत या उपगत कोई भी अधिकार, बाध्यता, या दायित्व;

बी. इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड;

सी. पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, दंड, जब्ती, सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या पाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता हैं और ऐसा कोई भी दंड, जब्ती या सजा को लागू किया जा सकता है, जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों, या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी.अन्य क़ानूनों को लागू किए जाने पर रोक नहीं

71. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनका अवहेलना नहीं करेंगे।

सी.व्याखाएँ

72. इन निदेशों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के उपबंधों की प्रयोज्यता या विवेचना में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की विवेचना अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(जे पी शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक